कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री अहसान अहमद पुत्र श्री अब्दुल्ला खॉ सदर चौक नागौरी मौहल्ला दौसा जिला दौसा राजस्थान

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 35 / 2018

निर्णय   दिनांक 17.06.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा से सूचना / नकल हेतु दिनांक 18.05.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना / नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल / सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा उनके पत्रांक आरटीआई / 2018 / 645 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा वॉछित सूचना प्रभारी अधिकारी (राजस्व) व भू0अ0 कलक्ट्रेट, दौसा से संबंधित होने के कारण उनके पत्रांक आरटीआई / 2018 / 453—55 दिनांक 23.05.2018 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रा0 पत्र स्थानांतरित किया गया। प्रभारी अधिकारी भू0अ0 कलक्ट्रेट, दौसा द्वारा उनके पत्रांक भू0अ0 / संस्था / 2018 / 4274 दिनांक 13.06.2018 द्वारा आवेदक को सीधा ही सूचना उपलब्ध करवाया जाना अंकित किया है तथा प्रभारी अधिकारी (राजस्व) कलक्ट्रेट, दौसा से प्राप्त सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक आरटीआई / 2018 / 549 दिनांक 19.06.2018 द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाया जाना अंकित किया गया है तथा यह भी अवगत कराया है कि प्र0अ0 (राजस्व) के यू0ओ0 नोट कमांक 4921 दिनांक 18.06.2018 के अनुसार बिंदु सं0 03,04,05,06 की सूचना जिले के तहसीलदारों से दी जानी थी जिसकी सूचना तहसीलदार रामगढ पचवारा व लवाण द्वारा दी जा चुकी है तथा शेष सूचनायें अविलम्ब देने बाबत अंकित किया है। हॉलाकि आवेदक को अधिकतर सूचना प्राप्त हो चुकी है। शेष सूचना तहसीलदारों से संबंधित है। इसलिए तहसीलदारों को बकाया रही सूचना के संबंध में निर्देश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रेषित पत्रादि की छाया प्रति संलग्न पत्रावली है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को लगभग सूचना उपलब्ध कराये जाना अंकित कर अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा संबंधित तहसीलदारों को उनसे संबंधित सूचना आवेदक को 07 दिवस के भीतर—भीतर उपलब्ध करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी (राजस्व) निर्देश जारी करें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा